Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA)

Service Appeal Case No.-156/2015

Mahesh Kumar Gupta .... Appellant.

Versus

The State of Bihar ....Opposite Parties.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	08-05-2025	**आदेश** प्रस्तुत सेवा अपील वाद श्री महेश कुमार गुप्ता, पिता-स्व0 योगेन्द्र प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन जनसेवक, प्रखंड कार्यालय पतरघट, जिला-सहरसा के द्वारा समाहर्त्ता, सहरसा के आदेश ज्ञापांक-827/स्था0, दिनांक 14.07.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में दायर किया गया है। वाद की सुनवाई से अपीलार्थी के लगातार अनुपस्थित रहने, वाद की सुनवाई में कोई अभिरूचि नहीं पाते हुए Dismiss for default के कारण प्रश्नगत वाद को दिनांक 03.09.2022 को खारिज कर दिया गया। कालांतर में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 16.02.2023 को न्यायालय में उपस्थित होकर Restoration Petition दाखिल किया गया, जिसे स्वीकृत कर लिया गया। संक्षेप में प्रश्नगत वाद का सारांश यह है कि श्री महेश कुमार गुप्ता, तत्कालीन जनसेवक, प्रखंड कार्यालय, पतरघट को जिला पदाधिकारी, सहरसा के आदेश से जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा के आदेश ज्ञापांक 603/पं0, दिनांक 12.09.2011 के द्वारा उनके विरूद्ध पतरघट प्रखंड अन्तर्गत पतरघट ग्राम पंचायत के गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले लोगों को इंदिरा आवास के चयन/भुगतान में अनियमितता बरतने, कई लाभार्थी को दुबारा इंदिरा आवास का लाभ देकर सरकारी राशि का दुर्विनियोग करने, माया देवी, पति-श्री जगदीश मंडल, ग्राम पंचायत-पतरघट के स्थान पर किसी अन्य का फोटो लगाकर खाता खुलवाने तथा दिनांक 18.08.2011 को आयोजित इंदिरा आवास शिविर हेतु मांगी गई लाभुकों की सूची उपलब्ध नहीं करने के कारण शिविर स्थगित किये जाने के आरोप में तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए आरोप प्रपत्र-'क' गठित कर विभागीय कार्यवाही का संचालन किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत	

Scanned with OKEN Scanner

	08-05-2025	किया गया, जिसमें यह निष्कर्ष दिया गया कि आरोपी कर्मी के विरुद्ध कर्त्तव्यहीनता एवं लापरवाही का आरोप प्रमाणित होता है। तदालोक में जिलाधिकारी, सहरसा द्वारा आदेश संख्या-827/स्था0, दिनांक-14.07.2015 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 एवं समय-समय पर यथा संशोधित प्रावधानों के तहत् श्री गुप्ता को संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि अवरूद्ध करने का दण्ड आरोपित किया गया। दिनांक-25.04.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। निम्न न्यायालय अभिलेख, अपीलार्थी के वाद पत्र एवं अन्य संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलार्थी का वर्ष 2009 में पतरघट प्रखंड में जनसेवक के पद पर पदस्थापन हुआ। उनके पदस्थापन काल में मानिकपुर पंचायत के श्री दल्लु मंडल द्वारा दिनांक 01.09.2011 को जिला पदाधिकारी, सहरसा के जनता दरबार में दो परिवाद पत्र समर्पित किया गया। उक्त परिवाद पत्र के आलोक में जिलाधिकारी, सहरसा के आदेश ज्ञापांक-603, दिनांक 12.09.2011 द्वारा अपीलार्थी को निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सहरसा को संचालन पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, सलखुआ को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी बनाया गया। जिलाधिकारी, सहरसा के आदेश ज्ञापांक-1235, दिनांक-19.11.2014 द्वारा अपीलार्थी को निलंबन मुक्त कर दिया गया। दिनांक 15.11.2014 को प्रपत्र-'क' के माध्यम से अपीलार्थी के विरूद्ध 4 आरोप गठित करते हुए उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी। जिसके आलोक में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 03.02.2015 को अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी, सलखुआ-सह-प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के प्रतिवेदन दिनांक 10.05.2015 में की गई टिप्पणी के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, सहरसा-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-'क' के आरोप संख्या-1 एवं 3 को अप्रमाणित एवं आरोप संख्या-2 एवं 4 को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। अपीलार्थी का कहना है कि जिला पदाधिकारी, सहरसा-सह-अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर से जॉच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के सापेक्ष अधिक दण्ड दिया गया। उनके द्वारा तदनुसार जिला पदाधिकारी, सहरसा-सह-अनुशासनिक प्राधिकार के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया। उभय पक्ष के बहस को सुनने तथा विभागीय कार्यवाही अभिलेख एवं कागजातों के अवलोकनोपरान्त यह स्थिति दृष्टिगत है

F

	08-05-2025	कि जिला पदाधिकारी, सहरसा-सह-अनुशासनिक प्राधिकार के आदेश ज्ञापांक-827/स्था0, दिनांक 14.07.2015 द्वारा निर्गत दण्डादेश जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के समानुपातिक है। प्रमाणित आरोप गम्भीर प्रकृति के हैं। अपीलार्थी की ओर से अपने दावे के समर्थन में यथोचित साक्ष्य उपस्थापित नहीं किया जा सका है। जिला पदाधिकारी, सहरसा के अपीलाधीन दण्डादेश को निरस्त करने का कोई आधार नहीं है। अतः इस Service अपील वाद को खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति सभी संबंधितों को भेजें। 08/5/25 आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा। लेखापित एवं शुद्धित। 08/5/25 आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा।	

न्यायालय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

(विधि शाखा)

ज्ञापांक 2574 /विधि   सहरसा, दिनांक 8-5-2025

प्रतिलिपि :- समाहर्त्ता, सहरसा को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा सेवा अपील वाद सं0-156/2015 में दिनांक-08.05.2025 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है।

प्रतिलिपि :- स्थापना उप समाहर्त्ता, सहरसा को उनके पत्रांक 303 दिनांक 11.03.2023 से प्रेषित संचिका संख्या-37-25/2011 (प0भाग-01 से 96, टि0पृ0-01 से 32 तक) मूल में वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :-यथोपरि।

प्रतिलिपि :- श्री महेश कुमार गुप्ता, पिता-स्व0 योगेन्द्र प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन जनसेवक, प्रखंड कार्यालय पतरघट, जिला-सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0टी0मैनेजर, आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमण्डल, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

8/5/25

प्रशाखा पदाधिकारी, विधि

कोशी प्रमंडल, सहरसा।

Scanned with OKEN Scanner